भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3909

उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025

3 चैत्र, 1947 (शक)

नासिक के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति

3909. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नासिक, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत कोई लक्षित कौशल विकास, नेतृत्व या उद्यमिता कार्यक्रम क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है तथा प्राप्त परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने नासिक के युवाओं में कौशल अंतराल और उद्यमशीलता क्षमता का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और पलायन को कम करने के लिए नासिक में अनुकूलित उद्यमिता प्रशिक्षण और आजीविका कार्यक्रम शुरू करने का है तथा इसके लिए बजट और स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नासिक के युवाओं के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की निगरानी, मूल्यांकन और बढ़ावा देने के लिए क्या तंत्र अपनाए गए हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 (एनवाईपी, 2014) भारत के युवाओं के विकास के लिए एक 'विजन' दस्तावेज है। इस नीति को सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी और प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है। एनवाईपी 2014 के तहत कोई स्कीम नहीं है, तथापि, यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सहित कई केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है, जिन्होंने युवाओं के विकास और सशक्तिकरण पर प्रभाव डालने वाली स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है/कर रहे हैं।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों यथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल में वृद्धि संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग से संबंधित कौशल से लैस करना है।

भारत भर में एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	पीएमकेवीवाई (2015-16 से 31.12.2024 तक)	जेएसएस (2018-19 से 28.02.2025 तक)	एनएपीएस (2018-19 से 28.02.2025 तक)	आईटीआई (2018-19 से 2023-24 तक)
अखिल भारतीय स्तर	1,60,33,081	29,52,539	37,09,218	79,57,128
महाराष्ट्र	13,15,883	2,38,848	9,62,167	6,98,847
नासिक	87,786	11,593	76,337	39,844

एमएसडीई की स्कीमें मांग आधारित हैं और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना या संचालन आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। स्थापित या संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस प्रतिष्ठान	आईटीआई (सत्र 2023-24)	
				सरकारी आईटीआई	प्राइवेट आईटीआई
अखिल भारतीय स्तर	14,844	289	49,788	3,316	11,296
महाराष्ट्र	684	21	9,086	422	615
नासिक	39	01	633	21	32

(ग) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने संबंधित क्षेत्रों में उद्योग के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन

किया है। इन एसएससी को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों को निर्धारित करने का अधिदेश दिया जाता है। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) तैयार करने का अधिदेश दिया जाता है। नासिक जिले ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना डीएसडीपी प्रस्तुत किया है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करते हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाते हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचानी गई कौशल संबंधी कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं ।

(घ) एमएसडीई ने अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। एमएसडीई द्वारा देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई कुछ पहलों का विवरण इस प्रकार है :

(i) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)

(ii) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशील माहौल

(iii) औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) स्कीम के तहत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम।

(iv) उचित मूल्य दुकानदारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

(v) स्ट्राइव योजना के तहत, आईआईई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएसटीआई और आईटीआई में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की है। आईआईई ने उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित किए हैं, जिसके बाद मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग प्रदान की है।

(ङ) कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में लगी एजेंसियों/संस्थानों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एमएसडीई द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

(i) **पीएमकेवीवाई:**
• उम्मीदवारों का आधार आधारित नामांकन और आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली;
• कॉल सत्यापन, सरप्राइज सेंटर विजिट, वर्चुअल सत्यापन, प्रशिक्षण केंद्रों को परिणाम आधारित भुगतान और अनुपालन न करने वाली संस्थाओं को दंडित करने (वित्तीय दंड सहित) के लिए तैयार किए गए दंड मैट्रिक्स जैसे निगरानी उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण केंद्रों और उम्मीदवार कौशल जीवन चक्र प्रगति की समवर्ती निगरानी।

(ii) **एनएपीएस**

• राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत, स्कीम की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) और एक स्कीम निगरानी एवं समीक्षा समिति (एसएमआरसी) की स्थापना की गई है। इसी तरह, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन समीक्षा समितियां (एसआईआरसी) गठित की गई हैं।

• इस स्कीम की निगरानी प्रत्येक जिले में राज्य प्रशिक्षुता सलाहकार (एसएए) और सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार (एएए) के माध्यम से भी की जाती है, इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता के क्षेत्रीय निदेशालयों (आरडीएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षुता पोर्टल स्कीम की निगरानी के लिए केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है, जो उम्मीदवारों और प्रतिष्ठानों के सभी आवश्यक क्रेडेंशियल्स को कैप्चर करता है।

(iii) **जेएसएस**

• एमएसडीई समय-समय पर समीक्षा बैठकों और फील्ड विजिट के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। स्कीम कार्यान्वयन की निगरानी स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल के माध्यम से भी की जाती है।

• राज्य स्तर पर, जेएसएस की निगरानी और पर्यवेक्षण आरडीएसडीई द्वारा किया जाता है। आरडीएसडीई अधिकारी प्रभावी निगरानी के लिए समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जेएसएस का दौरा और निरीक्षण करते हैं।

• जेएसएस स्तर पर, प्रत्येक जेएसएस में प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के रूप में जानी जाने वाली 16-सदस्यीय समिति गठित की गई है। जेएसएस का बीओएम समय-समय पर जेएसएस द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा करता है।

(iv) **डीजीटी**

• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) संबंधित राज्य निदेशालयों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में काम करते हैं। ये राज्य निदेशालय आईटीआई के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने आईटीआई के लिए डेटा-संचालित ग्रेडिंग पद्धति शुरू की है। यह ग्रेडिंग प्रणाली प्रवेश, परीक्षा आदि जैसे व्यापक मापदंडों के आधार पर आईटीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है।

****